Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **भरतपुर में कनिष्ठ सहायक अतिरिक्त चार्ज ग्राम विकास अधिकारी एवं उसका दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) 03 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *17 जनवरी, मंगलवार*। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर भरतपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये आशिक खान कनिष्ठ सहायक पंचायत समिति पहाड़ी अतिरिक्त चार्ज ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत भौरी, पं.स. पहाड़ी, जिला भरतपुर एवं उसके दलाल रामखिलाड़ी प्रजापत (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से **03 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक (अतिरिक्त चार्ज) श्री हेमन्त प्रियदर्शी ने बताया कि ए.सी.बी. की भरतपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि मनरेगा का जॉब कार्ड बनवाने एवं ऑनलाईन करने की एवज में आशिक खान कनिष्ठ सहायक पंचायत समिति पहाड़ी अतिरिक्त चार्ज ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत भौरी, पं.स. पहाड़ी, जिला भरतपुर द्वारा **03 हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, भरतपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कालूराम रावत** के निर्देशन में एसीबी की भरतपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महेश मीणा** द्वारा शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज मय टीम ट्रेप कार्यवाही करते हुये आशिक खान पुत्र श्री शेरखान निवासी ग्राम गादली, पुलिस थाना पहाड़ी, जिला भरतपुर हाल कनिष्ठ सहायक पंचायत समिति पहाड़ी अतिरिक्त चार्ज ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत भौरी, पं.स. पहाड़ी, जिला भरतपुर को उसके दलाल रामखिलाड़ी प्रजापत पुत्र श्री सुफेदी लाल निवासी गुर्जर मोहल्ला, पहाडी जिला भरतपुर (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से परिवादी से **03 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक, श्री हेमन्त प्रियदर्शी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।